भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 252
उत्तर देने की तारीख: 21.07.2026

एल्डरलाइन का संचालन

252. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:
श्री अतुल गर्ग:
श्री अरुण भारती:
श्रीमती शांभवी:
डॉ. लता वानखेड़े:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने 24/7 शिकायत निवारण और भावनात्मक सहायता प्रदान करने के लिए सभी 36 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में एल्डरलाइन (14567) को सफलतापूर्वक संचालित कर दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बजट 2026-27 में 5,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिक गृहों को बढ़ी हुई आहार और चिकित्सा अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "सेज" (सीनियरकेयर एजिंग ग्रोथ इंजन) पोर्टल ने सिल्वर इकोनॉमी उत्पादों में विशेषज्ञता रखने वाले 50 नए स्टार्टअप्स की सफलतापूर्वक पहचान की है और उन्हें वित्तपोषित किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय ने राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत 2 लाख से अधिक गरीबी रेखा से नीचे के वरिष्ठ नागरिकों को श्रवण यंत्र और व्हीलचेयर जैसे सहायक उपकरणों का वितरण पूर्ण कर लिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का शहरी क्षेत्रों में सक्रिय वृद्धावस्था और अंतर-पीढ़ीगत संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक "नेशनल सिल्वर पॉलिसी" शुरू करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) : सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) के अंतर्गत एल्डरलाइन - वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन (टोल-फ्री नंबर 14567) को सफलतापूर्वक लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सूचना, मार्गदर्शन, भावनात्मक सहयोग, मदद, बचाव और शिकायतों के समाधान जैसी सेवाएं प्रदान करना है। वर्तमान समय में, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, मेघालय और पश्चिम बंगाल को छोड़कर 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में एल्डरलाइन सेवा चालू है। यह हेल्पलाइन राष्ट्रीय अवकाशों को छोड़कर प्रत्येक दिन प्रातः 8:00 बजे से रात 8:00 बजे तक कार्य करती है।

(ख) : सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) योजना घटक के तहत देश भर में 734 वरिष्ठ नागरिक गृहों (सीनियर सिटिजन होम्स) को उनके संचालन और रखरखाव के लिए अनुदान-सहायता प्रदान करता है।

(ग) : सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन (सेज) पहल के तहत, योजना में निर्धारित पात्रता मानदंडों और मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर सेज पोर्टल के माध्यम से स्टार्टअप्स की पहचान की जाती है। अगस्त 2022 में सेज पोर्टल के लॉन्च होने के बाद से अब तक कुल 131 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

आरंभ में इन आवेदनों की जांच सूचना पूरी होने, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के रूप में रजिस्ट्रेशन की स्थिति और पात्रता के दूसरे मानदंडों के आधार पर की गई थी। इसके बाद, मंत्रालय-स्तर की जांच समिति ने आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड से विस्तृत जांच के लिए 31 आवेदनों की सिफारिश की। इन 31 आवेदनों में से 10 स्टार्टअप्स को चुना गया है और उन्हें 9.5 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया है।

(घ) : राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) के तहत, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले या 15,000 रुपये मासिक आय वाले और आयु से जुड़ी अक्षमताओं से पीड़ित पात्र वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क शारीरिक सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र दिए जाते हैं। इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक, देश भर में 9,23,071 पात्र वरिष्ठ नागरिकों को 49,81,380 सहायक उपकरण वितरित किए गए हैं।

(ड.) : वर्तमान समय में, एक पृथक नेशनल सिल्वर पॉलिसी शुरू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
